संख्या-47/2026/I/1274491/2026/File No.65-2002(001)/14/2026

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2026

विषयः स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, मिर्जापुर के संचालनार्थ फर्नीचर, उपकरण एवं बर्तन इत्यादि क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में (अन्तिम किस्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4800/दि0ज0स0वि0/निर्माण/मा0मं0आ0गृ0/2025-26 दिनांक 26.02.2026, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, मिर्जापुर में फर्नीचर, उपकरण तथा बर्तन आदि क्रय हेतु धनराशि रू0 16.28 लाख (रू0 सोलह लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. अवगत कराना है कि स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, मिर्जापुर में फर्नीचर, उपकरण तथा बर्तन आदि के क्रय हेतु अधिकतम लागत रु0 146.28 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं इस कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 130.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-280/2025/65-2-2025 दिनांक 20.02.2025 द्वारा अवमुक्त की गयी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज, मिर्जापुर में फर्नीचर, उपकरण तथा बर्तन आदि क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अन्तिम किश्त के रूप में रू0 16.28 लाख (रू0 सोलह लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृति कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

(i) धनराशि आहरण एवं व्यय एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी, का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा। ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) प्रायोजना में फर्नीचर, उपकरण तथा बर्तन आदि क्रय से सम्बंधित कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। अतः प्रश्नगत कार्य हेतु निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये, जो अपनी देख-रेख में प्रश्नगत कार्यों का सम्पादन करायेगी। उक्त समिति में क्रय किये जाने वाले उपकरण/फर्नीचर आदि से सम्बन्धित विशेषज्ञता के अधिकारी भी सम्मिलित हों।

(iv) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(v) प्रायोजना के अन्तर्गत फर्नीचर, उपकरण आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाये। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी एवं बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्य हैं। अत: इनके शिडयूल ऑफ रेट उपलब्ध नहीं होते तथा इनके मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(vi) प्रायोजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृति है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(vii) स्वीकृत धनराशि का व्यय क्रय नियमों एवं वित्त विभाग के सुसंगत प्राविधानों में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा। ।

(viii) प्रस्तावित उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विद्यालय का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों के पंजीकरण सहित किया जा सकेगा।

(ix) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(x) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xi) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि कि प्रश्नगत विद्यालय पूर्ण एवं हस्तगत है।

(xii) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन कर पठन-पाठन प्रारम्भ किया जाये।

(xiii) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि बिना समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(xiv) समिति द्वारा की गयी संस्तुत धनराशि में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। क्रय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों, क्रय प्रक्रिया संबंधी अद्यतन दिशा-निर्देशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03.02.2025 के द्वारा संस्तुत शर्तों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(xv) फर्नीचर/उपकरण पर कार्यदायी संस्था को सेंटेज चार्ज अनुमन्य नहीं होगा।

(xvi) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(xvii) जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(xviii) प्रश्नगत योजनान्तर्गत राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xix) शासनादेश संख्या-280/2025/65-2-2025 दिनांक 20.02.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-11-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- आर.ई.-बजट-1-553-ई-4-268-एक्स-2025-26, दिनांक 19.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (निर्माण), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. कोषाधिकारी, कोषागार, जनपद-लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0), लखनऊ।
6. उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विध्यांचल मण्डल, मिर्जापुर ।
7. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जनपद- मिर्जापुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।